□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□ : 5524
26 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त□□

□□□□□□□□ □□□□□□ों □□ □□□□ □□□□□□

5524. श्री □□□□ □□□श्व□ □□□□□

□□□ □□□न□ □□□□□□□

श्री □□□□□ □□□□ □□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□ो □□□ □□□ा□□

(□) क□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□, डॉक्टरों/कमचारियों को कम होती संख्या और □□□□स□□□, चिकित्सा विशेषज्ञ को बुलाया जाना □□ □□□□, □□□□□□□ □ो □□□ □□□ □□□□ रू□ □□□□□ओं □ो □□□□□ब□□□, □□□□□ों □ो □□□ □□□□ □त□ा□ □□□□□□ □□□□□□□, □ि□ल□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ों □□□□□□□□ □ो □□□□ □स□□□ □□□□□□ □;

(□) □ा□ □□,□□ क□□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□ □□□□□□ प्राप्त हुई ह;

(□) □ा□ □□,□□ □□□□ □□□ □□ा □□□□□□□ दिल्ली म तत्संबंधी □□□□□□-वार ब्यौरा क्या है □□ □□□□क□□ □□□□ □ □□□ □□□□□ द्व□□□ □□□ शिकायतों पर अब तक क्या कारवाई को गई है; □□

(□) □□□□□ द्व□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ों □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □न□ क□□ □□□ □□□□ □□ □?

□त□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री (श्री □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□) □□(□): □□□□□ □□ केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और □□□□□□□□ □□□ग□ □न्द्रों □□ □□□ कनेक्टिविटी म ब्रेकडाउन, स□□□ □ो □□□, □म□□ □□□□ □□ प्र□□क्ष□ □□□□, आगंतुक विषेशज्ञों को सेवाओं म बाधा आदि सहित प्र□□□□ □□□□□□न्न □□□ओं □□□□□□□ □□□□□□□□ लाभार्थियों □□□□ विभिन्न स्रोतों से फोडबैक प्राप्त □□□□□□ प्र□प्त □□□□□□□□□□फोडबैक पर उपयुक्त कारवाई करने तथा □□□□□□□□ □□ सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों को कायप्रणाली □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ो □□□□ □□□

सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों के प्रचालन म सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नवत अनेक उपाय किये ह:-

(i) पिछले एक वष के दौरान सीजीएचएस म पोस्टल डिस्पर्सरियों के विलय के माध्यम से □□□□□□□□ □□□ग□ □न्□ों के नेटवक को 33 सीजीएचएस कवड □□□ों □□□□□□ 70 □□□□□□□□ □□□ शहरों तक विस्तारित किया □□□ □□

(ii) □□□□□ □□□□त्र □□□□□□□□ □□□□ि□□ों □□ □□□□ □□□□प्र□□□ □□□□□□□□ 27 □□ □□□□□□□□□ □□ 26 □□□ि□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ ि□□□ □□

(iii) □□□□□□□□ लाभार्थियों □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ग□ □न्□ों □ □□□□□□ □□□□□□□ □□ दवाओं को प्रदानगी के लिए एसएमएस सेवा आरंभ को गई है।

(iv) प्र□□क्षा अवधि को कम करने के लिए आरोग्य केन्द्रों म चिकित्सा अ□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान किया गया है।

(v) □□□□□□□□ □□□ग□ □न्द्रों □□□□ □□□□□□□□श्व□□ पैनलबद्ध अस्पतालों से विशे□ज्ञ □□□□□ प्राप्त करने हेतु सीजीएचएस □□□□ि□□ों को विकल्प प्रदान किया गया है।

(vi) □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ग□ केन्द्रों म औषधियों को उपलब्धता बढ़ाने के लिए □□ि□म उपाय के रूप म एचएलएल लाईफ केय□ □□□□□□ □□□□ध□□ □□□□ि□□ □त्र □□□□ □□□□□□□□□□दने के लिए उपाय किये ह। □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ध□म से जन औषधि दरों पर जेनरिक सूत्र वाली औषधियों को दैनिक आवश्यकता को □□□□ □□प्र□□□□□ ि□□□ □□□ □□

(vii) आरोग्य केन्द्रों म अवसंरचना सुदृढ़ीरण हेतु जीईएम के माध्यम से खरीद को प्रक्रिया।

(viii) 75 □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ि□□ों □□ □□□□ □□□□ □□□□□□द्ध □□□□ □स□□□□ □ □□□□ज्ञ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□

(ix) फामासिस्ट को कमी को फामासिस्ट को नई भर्ती के माध्यम से कम किया गया है।

(x) □□□□ि□□ों को निबाध चिकित्सा सेवाएं देने के लिए नियमित चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के स्थान पर □□-निवृत डाक्टरों को संविदात्मक आधार पर तैनात किया गया है।

****